न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली कैम्प मालनू
पीठासीन अधिकारीः श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस

प्रार्थीगण
हीराराम पुत्र थानाराम जाति मीणा साकिन मालनू तहसील बाली वगैरा

बनाम

अप्रार्थी
तहसीलदार, बाली

प्रकरण संख्या :– /2021
बाबत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

दिनॉक : 08.12.2021

प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त प्रकरण प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नकल दी गई। अप्रार्थी की ओर से जवाब मय रिपोर्ट प्राप्त हुई।

प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम मालनू के खसरा नंबर 493 कुल खसरा 01 कुल रकबा 1.97 हैक्टर भूमि में स्थित है। जिसके प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 की प्रति प्रस्तुत की। जिसमें प्रार्थीगण का त्रुटिपुर्ण नाम हरीया, पपीया, लाली दर्ज हैं तथा अतः रेकर्ड को दुरूस्त करते हुए प्रार्थीगण का सही व वास्तविक नाम हरीया के स्थान पर हीराराम, पपीया के स्थान पर प्रभुराम व लाली के स्थान पर कुकी करवाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब मय पटवारी रिपोर्ट भूमिधारी की ओर से पेश किया एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित त्रुटी को स्वीकार किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व रिपोर्ट का अवलोकन किया। भूमिधारी के द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 में दर्ज बतौर सी खातेदार प्रार्थीगण का त्रुटिपुर्ण नाम हरीया, पपीया, लाली दर्ज हैं, जबकि प्रार्थीगण का सही व वास्तविक नाम हरीया के स्थान पर हीराराम, पपीया के स्थान पर प्रभुराम व लाली के स्थान पर कुकी प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड व शपथ पत्र की प्रतियों के अनुसार है। जिस तथ्य को अप्रार्थी तहसीलदार, बाली, भू–अभिलेख निरीक्षक चामुण्डेरी व पटवारी हल्का, मालनू ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्वीकार करते हुये सही नाम दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने की अनुशंषा की हैं।

अतः प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम मालनू के खसरा नंबर 493 कुल खसरा 01 कुल रकबा 1.97 भूमि में दर्ज प्रार्थीगण का त्रुटिपुर्ण नाम हरीया, पपीया, लाली को दुरूस्त करते हुए प्रार्थीगण का सही व वास्तविक नाम हरीया के स्थान पर हीराराम, पपीया के स्थान पर प्रभुराम व लाली के स्थान पर कुकी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष सभी इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। अप्रार्थी भूमिधारी आदेश की पालना तुरन्त कर राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद करे।

पत्रावली फैसल शुमार हो कर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, बाली
कैम्प : मालनू

आदेश आज दिनॉक 08.12.2021 मजमें कैम्प मालनू में पक्षकारों को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बाली
कैम्प : मालनू

Scanned with CamScanner